राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 23 मार्च, 1984

क्रमांक **269-ज-(I)-84/8380**.—श्री आत्मा सिंह, पुत्र श्री करतार सिंह, गांव कोड़वांखुर्द, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला की दिनांक 19 जनवरी, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री आत्मा सिंह की मुल्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1414-ज-I-78/25623, दिनांक 15 सितम्बर, 1978 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज(I) 79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती प्रीतम कौर के नाम खरीफ, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **271-ज-(I)-84/8384**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती प्यार कौर, विधवा श्री अमर सिंह, गांव बालछप्पर, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला, को रबी, 1973 से रबी, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **270-ज(I)-84/8388**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री बलवन्त सिंह, पुत्र श्री मान सिंह, गांव फुलड़पुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को रबी, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **291-ज-(II)-84/8395**.—श्री राम सरूप, पुत्र श्री हरजी राम, गांव कमीना, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 7 अगस्त, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राम सरूप की मुल्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3387-ज-I-72/45455, दिनांक 20 अक्तूबर, 1972 अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती भोगड़ी के नाम रबी, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **308-ज(II)-84/8401**.—श्री जगमाल सिंह, पुत्र श्री रतन सिंह, गांव भाकली, तहसील झज्जर (अब कोसली), जिला रोहतक की दिनांक 1 मार्च, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगमाल सिंह की मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 243-र-III-71/6356, दिनांक 9 मार्च, 1971 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती महादेवी के नाम खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **290-ज(II)-84/8435**.—श्री ब्योनारायण, पुत्र श्री नैन सुख, गांव सुरेती जाखड़, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 15 सितम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ब्योनारायण की मुल्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 312-र-II-66/1274, दिनांक 29 अप्रैल, 1967, अधिसूचना क्रमांक 5041-प्रार- III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-जे(I)-79/44040, दिनांक 30 जनवरी, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भागली के नाम रबी, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।